

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
क्रमांक -प.1(1)न्याय/2016 पाट-II

जयपुर, दिनांक 27 SEP 2018

-::अधिसूचना::-

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है:-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला	बैठक का स्थान
1.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रानी	पाली	रानी

नोट:- उपरोक्त न्यायालय का स्थानीय क्षेत्राधिकार राजस्थान सिविल न्यायालय, अध्यादेश 1950 की धारा 7(2) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के पावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से

(1) 21.9.19

(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. General/II/12/10/1362

Dated: 01/10/2019

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur Bench Jaipur.
2. District & Sessions Judge, Pali
3. Chief Judicial Magistrate, Pali
4. CJ & JM, Rani
5. A.O.J. Confidential RJS Estt., S.C. Estt./ Statistics Budget Building computer cell (with a direction to upload the same on High Court website).

५०१-१०१
REGISTRAR (RULES)